कार्यालय–जनपद न्यायाधीश, बस्ती।

संख्याः.........20........../ नजारत– दिनांकः बस्तीः 4 मार्च, 2021

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बस्ती में राजकीय वाहन अम्बेसडर संख्या UP-51/G-0014 जो खडी अवस्था में है। की नीलामी दिनांक–17.03.2021 को समय 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरी की देख रेख में नजारत (कार्यालय) में सम्पन्न की जायेगी।

क्र० सं०	विवरण वाहन	न्यूनतम मूल्य	टिप्पणी
1	UP-51/G-0014(Petrol Ambassador car)	15500/-	

उपरोक्त कार की नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों/ठेकेदारों को निम्नलिखित शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगाः–

01. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/ठेकेदार दिनांकः 08.03.21 से दिनांकः 16.03.2021 तक किसी भी कार्यदिवस में मु0 200.00 (दो सौ रूपये) रूपये नजारत कार्यालय में नकद जमा करके नीलामी फार्म प्राप्त कर सकते हैं।
02. नीलामी फार्म किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय मे दिनांकः 09.03.21 से दिनांकः 16.03.21 तक पूर्ण रूप से भरकर नजारत कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
03. नीलामी फार्म जमा करने वाले व्यक्ति ही नीलामी में भाग ले सकते हैं।
04. नीलामी फार्म के साथ मु0 2000.00 नकद नजारत कार्यालय में जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा।
05. उच्चतम् बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली की सम्पूर्ण धनराशि तुरन्त नकद जमा करना होगा। कम बोली बोलने वाले व्यक्ति/ठेकेदार की जमानत राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
06. किसी भी व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा बोली गयी बोली को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, बस्ती को होगा।
07. किसी भी व्यक्ति/ठेकेदार द्वारा बोली गयी बोली को बिना कोई कारण बताये अस्वीकार किया जा सकता है तथा बोली अस्वीकार होने दशा में सम्पूर्ण धनराशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी।
08. बोली स्वीकृत होने की दशा में सम्बन्धित व्यक्ति/ठेकेदार को 10 दिन के अंदर नीलामी में लिए कार को अपने व्यय पर ले जाना अनिवार्य होगा।
09.. नीलामी की कार्यवाही कराने, स्थगित करने अथवा तिथि परिवर्तित करने का सम्पूर्ण अधिकार नीलामी समिति को होगा।

इस नोटिस/सूचना की छाया प्रतियॉ विस्तृत प्रचार प्रसार हेतु जनपद न्यायालय, बस्ती के समस्त नोटिस बोर्डो, जिलाधिकारी, बस्ती, पुलिस अधीक्षक ,बस्ती, सूचनाधिकारी ,बस्ती, विकास भवन, बस्ती, रेलवे स्टेशन, रोडवेज आदि समस्त राजकीय कार्यालयों के नोटिस बोर्डो पर तथा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करायी जाय।

इस नोटिस/सूचना का प्रकाशन किसी स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में कराया जाय। साथ ही साथ नीलामी की सूचना माननीय उच्च न्यायालय की वेवसाइट पर भी अपलोड कराया जाय।

(अम्बरीशकुमार श्रीवास्तव)	(ब्रजेशमणि त्रिपाठी)	(मुकेशकुमार सिंह)	(अब्दुल कैयूम)
सिविल जज(जू0डि0)/	ए0डी0जे0(पाक्सो एक्ट)	विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट)	अपर जिला जज,तृतीय,
सदस्य, नीलामी समिति,	सदस्य, नीलामी समिति,	सदस्य, नीलामी समिति,	अध्यक्ष, नीलामी समिति,
जनपद न्यायालय, बस्ती।	जनपद न्यायालय, बस्ती।	जनपद न्यायालय, बस्ती।	जनपद न्यायालय, बस्ती।